न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्रकरण 57 / 18 तारीख फै0 – 11.9.18

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

शाहरा हुसैन पुत्र मोहम्मद हसीन निवासी काजीपाड़ा टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थी

बनाम

1. मन्जूर अली पुत्र मकसूद अली
2. अब्दुल अली पुत्र मुजफर अली
3. मोहासिम पुत्र मुजफर अली
4. अली पत्नि मुजफर अली
5. आतिका पुत्री मुजफर अली पत्नि निसार अहमद
   जाति मुसलमान निवासी काजीपाड़ा टोडाभीम।
6. शालिमा पुत्री मुजफर अली पत्नि शाकिर अली निवासी काजी कालोनी गंगापुर सिटी।
7. सदीमा पुत्री मुजफर अली पत्नि मोहम्मद आसिम
8. हदीसा पुत्री मुजफर अली
9. शहनीबा पुत्री मुजफर अली
10. शीबा पुत्री मुजफर अली
    जाति मुसलमान निवासी काजीपाड़ा टोडाभीम।
11. अनवार अहमद पुत्र अबरार अहमद
12. अखलाक अहमद पुत्र अबरार अहमद
13. इफ्तिखार अहमद पुत्र अबरार अहमद
14. इश्ताक अहमद पुत्र अबरार अहमद
15. मोहसिन अहमद पुत्र अबरार अहमद
16. शकील अहमद पुत्र अबरार अहमद
17. अजीजवानुन पत्नि अबरार अहमद
18. बड़ी मुन्नी पत्नि मोहम्मद स्वालेह
19. रहीस अहमद पुत्र अनवार अहमद
20. जाहिद अली पुत्र अनवार अहमद
21. जाविद अली पुत्र अनवार अहमद
22. अनीस अहमद पुत्र अनवार अहमद
23. हसीन बेवा शाहिद अली
    समस्त जाति मुसलमान निवासी काजीपाड़ा टोडाभीम।
24. नजरीन पत्नि रहान निवासी बड़ी उदेई तहसील गंगापुर।
25. रहनुमा पत्नि मसरूद निवासी हिण्डौन।
26. सिदा पुत्री शाहिद अली नाबालिग जरिये माता हसीन पत्नि शाहिद अली काजीपाड़ा टोडाभीम।
27. शादाब
28. साहिल

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

[illegible]

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (प्रार्थी)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थी 1 ता 37)

निर्णय दिनांक – 05.07.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम [illegible] के खसरा नम्बर 1342/0.05, 1343/0.42, 1344/0.26, 1444/[illegible], 1496/[illegible], 1539/1.57, 1557/[illegible], 1558/1.60, 1559/[illegible], 1560/0.31, 1561/[illegible], 1562/[illegible], 1563/0.15, 1606/1.71, 1629/1.62, 1636/[illegible], 1639/[illegible], 1641/0.57, 1642/0.45, 1643/0.45, 1651/[illegible], 1930/0.64, 1932/[illegible], 1933/0.51, 1934/0.23, 1935/0.02, 1936/0.58, 1938/[illegible], 1941/0.24, 1957/0.20, 1958/[illegible], 1959/0.21, 2005/0.11, कुल किता 33 कुल रकबा 14.38 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2

नाम [illegible] दर्ज है। [illegible] सायल के पिता उक्त आराजी मे खातेदार है जो कि पुराने [illegible] से साबित है। खातेदारान [illegible] मोहम्मद हुसैन के लड़के मुबारिक हुसैन एवं [illegible] अली [illegible] बराबर 1/4 के रूप मे दर्ज हो गया। परन्तु सायल साजत हुसैन [illegible] मोहम्मद हुसैन की असल औलाद होने के बाद भी नाम नही आया। सायल के पिता मोहम्मद हुसैन [illegible] हुसैन एवं [illegible] हुसैन का नाम जमाबन्दी सम्वत 2013-16 मे है। क्योंकि सायल उनकी छोटे होने के कारण नाम जमाबन्दी मे नही आया। इस प्रकार उक्त आराजी मे 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल साजत हुसैन एवं हिस्सा 1/4 की खातेदारी [illegible] पुत्री मोहम्मद हुसैन करवाने के हकदार है। और आराजी पर काबिज एवं दाखिल है।

सम्वत 2009 — 12 के रिकार्ड मे खातेदारी मोहम्मद हुसैन, वाहिद हुसैन नूर हुसैन के नाम थी। इस आधार पर उनके वारिसान को खातेदारी मिलनी चाहिए थी। वाहिद हुसैन का 1/4 हिस्सा ही कस्टोडियन मे था। परन्तु गैरसायलान न0 1 ता 37 के बुजुर्ग जो कि बड़े शातिर थे, झूठी कारगुजारी कर अपने नाम खातेदारी करवाली जबकि वे लोग कुनबे और खानदान के भी नही थे। इस प्रकार गैरसायलान का नाम हटाया जाकर 1/4 हिस्से की खातेदारी सायल के नाम और 1/4 हिस्से की खातेदारी [illegible] पुत्री मोहम्मद हुसैन के नाम और 1/4 हिस्से की खातेदारी [illegible] हुसैन, शाकिर हुसैन, नासिर हुसैन, अफरोज, मुश्ताकजिया के नाम होनी चाहिए। मुबारिक हुसैन लाऔलाद फौत होने से उनका हिस्सा मोहम्मद नबी एवं वाहिद हुसैन को मिलना चाहिए। [illegible] की पीढ़ी मे मुबारिक हुसैन फौत होने के कारण सम्पूर्ण आराजी मे 1/4 हिस्से के [illegible] अली, 1/4 हिस्से के साजत हुसैन, 1/4 हिस्से के [illegible], 1/4 हिस्से का वाहिद हुसैन था। जो पाकिस्तान चले गये। उनका हिस्सा गैरसायल [illegible] हुसैन, शाकिर हुसैन, नासिर हुसैन, अफरोज, मुश्ताकजिया के नाम होनी चाहिए।

गैरसायलान के बुजुर्गान महमूद अली और हसन अली ने उजरदारान का [illegible] देकर वास्तविक तथ्यो को नही आने दिया सायल के बड़े [illegible] मीर [illegible] के [illegible] को रिकार्ड मे नही आने दिया गलत जानकारी देकर नामान्तकरण दिनांक 21.6.55 से गलत खातेदारी करवाली है। निरस्त करना आवश्यक है। 21.6.55 का कस्टोडियन का रिकार्ड गिरदावरी मे मौजूद है। गैरसायलान 1ता 37 खातेदारी का फायदा उठाकर सायल को बेदखल करना चाहते है। सायल के कब्जा की भूमि ख0न0 1629, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643, मे मदाखलत नही की जावे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम टोडाभीम 13 बिस्वा के आराजी ख0न0 1342/0.05, 1343/0.42, 1344/0.28, 1444/0.10, 1494/0.63, 1539/1.57, 1557/0.01, 1558/1.60, 1559/0.06, 1560/0.31, 1561/0.09, 1562/0.09, 1563/0.15, 1606/1.71, 1629/1.82, 1638/0.01, 1639/0.46, 1641/0.57, 1642/0.45, 1643/0.45, 1868/0.58, 1930/0.64, 1932/0.01, 1933/0.51, 1934/0.23, 1935/0.02, 1936/0.58, 1938/0.24, 1941/0.24, 1957/0.20, 1958/0.20, 1959/0.21, 2005/0.11, कुल किता 33 कुल रकबा 14.38 है0 मे सायल के कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 1/4 मे मजाहमत मदाखलत, व सायल को बेदखल नही करने हेतु, रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थित बनाए रखने हेतु पाबन्द करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 38, 39 बावजूद सूचना उपस्थित नही इसलिए इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 1 ता 37 ने जरिए वकालतन जवाब प्रस्तुत किया कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद न0 3 मे कथन मनगढंत और असत्य है। बल्कि सही बात यह है कि उक्त आराजीयात हमेशा से गैरसायलान के बुजुर्गो के नाम रही है। उनका कब्जाकाश्त रहा है बुजुर्गो के फौत हो जाने के बाद विरासत मे उक्त आराजी गैरसायलान को प्राप्त हुई है। पजमाने के बुजुर्गान के समय से ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी सायल के बुजुर्ग [illegible] [illegible] के नाम कभी नही रही। सायल का विवादित आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा है और नाही आज है। उक्त आराजी पूर्व मे [illegible] [illegible] पट्टेदार के नाम रही थी। तथा [illegible] काजी मोहम्मद हुसैन, वाहिद हुसैन,

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

गुलाम हुसैन के नाम थी। न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश संख्या 864 दिनांक 31.7.1958 के अनुसार नामांतरण संख्या 67, 68, गैरसायलान नं0 1 ता 3 के बुजुर्गान महमूद अली पुत्र औसाफ अली व हसन अली पुत्र मकसूद अली के नाम आई थी। गैरसायलान अनुसार बुजुर्गान महमूद अली, हसन अली मरहूम है एवं काश्त कर रहे है। सायल द्वारा गलत कानूनी तरीके से गलत पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद नं0 5 में भी अलग मसला एवं मनगढ़ंत है। अब प्रथम आपत्ति न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश से ही गैरसायलान के नाम आयी है तो इस सम्मानीय अदालत की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बाहर है। तथा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। दिनांक 31.6.1958 की खातेदारी के आदेश इस सम्मानीय अदालत द्वारा निरस्त नहीं किए जा सकते है। उक्त कार्यवाही को हुए 63 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। जब आराजी गैरसायलान के बुजुर्गान के नाम 63 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है तो उक्त आराजी का सायल का कोई वास्ता होने का प्रश्न पैदा होता है। सायल द्वारा आराजी को कस्टोडियन भूमि बताकर मनगढ़त तथ्य अंकित कर दिए है। सायल आराजी मेरी 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित होकर खसरा 1638/1.62, 1639/0.01, 1639/0.46, 1641/0.57, 1642/0.45, 1643/0.43, में गैरसायलान को पाबन्द कराया चाहता है जबकि सायल का उक्त आराजी के एक इंच रकबे पर भी कब्जा नहीं है। तथा कब्जा दाखिली की भी कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। सायल द्वारा लगातार मैटेरियल तथ्य को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है सायल का कब्जा/काश्त नहीं है। न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश दिनांक 31.7.1958 पर नामांतरण संख्या 67 दिनांक 8.8.1958 तस्दीक होकर खातेदारी गैरसायलान के बुजुर्ग महमूद अली, हसन अली के नाम आयी है पहले बुजुर्गान काबिज थे। उनकी मौत हो जाने के बाद गैरसायलान काबिज काश्त है। यह भी कि न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के आदेश से खातेदारी प्राप्त हुई है के विरुद्ध सायल या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। और इस सम्मानीय अदालत मे मुकदमा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत भी निरस्त योग्य है। जवाब प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील सायल ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात कुल रकबा 14.38 है0 ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा के गैरसायलान विवादित खातेदार है। उक्त भूमि पैतृक एवं विरासत की भूमि है। गुलाम हुसैन व आबिद हुसैन के कोई वारिस नहीं होने से भूमि आबिद हुसैन की पुत्री को आ गयी। साबिर हुसैन का 1/4 हिस्सा है। मोहम्मद नबी व जाहिद हुसैन बचपन मे फौत होने से जमाबन्दी मे नहीं आये। जमाबन्दी सम्वत 2013-16 मे भी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2009-12 पेश की है। उक्त विरासती हिस्सा 1/4 कस्टोडियन आबिद हुसैन की गैरसायलान के नाम दर्ज हुई है। गैरसायलान के बुजुर्गान ने फर्जीवाड़ी कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवायी। गैरसायलान ने खातेदारी अपने नाम कैसे करवाई इसको पेश नहीं। नामान्तरण संख्या 67 व 68 उप जिला कलक्टर के आदेश से भरा गया है। जबकि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया है। कस्टोडियन की ही नाही कोई सम्पत्ति किया है और नाही कोई ऐलान किया है। खसरा 99, 100 पर गैर कब्जा है। उक्त सम्पत्ति सम्पत्ति से इसे बेदखल करने पर कौन अधिक नुकसान हुआ है। अतः यह प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष मे है। ऐसा विभाजन के समय का मामला है। सायल कब्जा है। उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान वकील गैरसायलान ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी बुजुर्गान से खातेदारी एवं काबिज काश्त की रही है। 60 वर्ष पुराने इन्तकाल है। गैरसायलान के बुजुर्गों के नाम खातेदारी है। नामांतरण के कालम 11 के अनुसार गैरसायलान के बुजुर्गों के नाम खातेदारी स्वीकार हुई है कब्जा पाया है। नामांतरण के कालम संख्या 12 मे तहसील का बाबूजी इन्द्राज है। 31.7.58 के आदेश के तहत नामांतरण भरे गये है। जमाबन्दी सम्वत 2013-2016 मे नामांतरण का अमल हो

उपजिला कलक्टर,
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दुरुस्त है। 1955 न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। जिस न्यायालय के अधीन दिया उसी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश निरस्त नहीं कर सकता है। प्रथम दृष्टया ही प्रकरण सायल के पक्ष में नहीं है। गैरसायलान बजमाने बुजुर्गान से रिकार्डेड खातेदार चले आ रहे है। कब्जा काश्त हमारा है। 60 वर्ष पुराने रिकार्ड पर कोई आदेश नहीं लगा सकता है यदि मेरे विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझे अपूरणीय क्षति होगी। सायल के नाम न तो खातेदारी है और नाही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल का खारिज किया जावे। जवाबी बहस में सायल वकील ने कथन किया कि घोषणा खातेदारी का दावा है इसलिए नामान्तकरण की अपील करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वकील गैरसायलान ने जवाबी बहस में कथन किया कि सायलान का यदि कब्जा काश्त हो तो 65 वर्ष की गिरदावरी पेश करते गिरदावरी हमारे बुजुर्गान की है। विरासत से प्राप्त हुई भूमि पर गैरसायलान काबिज है काश्त है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलों की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए तीन बिन्दुओं को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण– पत्रावली में संलग्न नामांतकरण संख्या 67 दिनांक 9.8.59 से यह भूमि शामिल खसरा 673 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 674 रकबा 3 बिस्वा, 675 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 680 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, एवं नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 9.8.59 से 99 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा, 108/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 112 रकबा 0 बीघा 8 बिस्वा, 659 रकबा 7 बिस्वा, 672 रकबा 5 बिस्वा, 676/2 रकबा 2 बिस्वा मकबूल अली पुत्र ओसफ अली एवं इसान अली पुत्र शहजाद अली जाति मुसलमान के नाम स्वीकार हुये है। उक्त दोनों नामांतकरण न्यायालय जिला कलक्टर सिवाईमाधोपुर के आदेश एवं तहसील टोडाभीम के आदेश दिनांक 31.7.58 के अनुसार दर्ज हुए है। जमाबन्दी संवत 2013–16 में नामान्तकरणों का अमल दरामद हो चुका है। पत्रावली पर सायल द्वारा लगभग 60 वर्ष पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी सायल द्वारा अपने कब्जेकाश्त के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। जमाबन्दी संवत 2013–16 में खातेदारी गैरसायलान के बुजुर्गान मकबूल अली एवं इसान अली के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–75 में भी खातेदारी गैरसायलान के नाम दर्ज है। इस प्रकार यह प्रकरण प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलन– सायल द्वारा कब्जा काश्त के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं करने एवं खातेदारी गैरसायलान के नाम से दर्ज होने से बदस्तूर काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में है। सायलान के पक्ष में नहीं है।

अपूरणीय क्षति– गैरसायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, यदि इन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूरणीय क्षति होगी। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

उक्त विवेचन के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner